HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16093/2025

Ramawatar Jat S/o Tinkuram Jat, Aged About 44 Years, R/o Dhani Ramawali, Village Ghatwada, Police Station Chandwaji, District Jaipur Rural.
(At Present Confined At Central Jail Ghatgate Jaipur).

----Petitioner/Accused

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vaibhav Pancholy with Mr. Pawan Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP Mr. Sarthak Choubey

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना चन्दवाजी जिला जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 381/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध परिवादी से धोखाधड़ी करने का आरोप है। समान प्रकृति के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण भी अलग अलग परिवादी द्वारा दर्ज कराए गए थे। जिसमें से प्रार्थी/अभियुक्त रामवतार जाट का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 14951/2025 आदेश दिनांक 27.11.2025 तथा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3175/2025 आदेश दिनांक 05.02.2026 को इस

न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त ने आरोपित राशि में से 60 लाख रुपए संबंधित व्यक्तियों के खाते में व नकद लौटा दिए हैं, इस तथ्य का उल्लेख अन्वेषण के दौरान आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी से कितनी राशी के संबंध में धोखा किया, इसका विश्लेषण भी घटना की रिपोर्ट में नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यह सही है कि इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ कितनी राशि के संबंध में धोखाधड़ी की गई, यह इस स्तर पर स्पष्ट नहीं हो रहा है अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में समान प्रकृति के तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा तथा इस न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है, अतः उभयपक्षों के तर्कों पर मनन करने, आरोप पत्र प्रस्तुत होने तथा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों व प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रामावतार जाट पुत्र श्री टिंकूराम जाट** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया

जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /20